T.S.-40/15

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-40/2015

RAGHUNATH MAHTO & OTHERS..................................PLAINTIFFS

Vs.

JAWAHAR MAHTO & OTHERS...................................DEFEDNATS

ORDER

04.04.22 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी सं0–23 के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक– 14.02.22 पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी सं0–23 का कथन है कि प्रस्तुत वाद के वादी स0–1 रघुनाथ महतो की मृत्यु दिनांक– 27.04.21 को हो चुकी है, जिनके तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां हैं तथा तीनों पुत्र पहले से इस वाद में वादी सं0– 12 ता 14 के रूप में पक्षकार हैं। अतः वादी सं0–1 के स्थान पर उनके तीनों पुत्रियों को वादपत्र में वादी सं0–25, 26 एवं 27 के रूप में पक्षकार बनाने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी सं0–23 का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक– 14.02.22 शपथ–पत्र से समर्थित है तथा विलंब से दाखिल किया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तदनुसार वादी सं0–1 के पुत्रियों का नाम वादपत्र में वादी सं0–25, 26 एवं 27 के रूप में प्रतिस्थापित करे।

दिनांक– 30.05.2022 वास्ते अग्रतर कार्रवाई।

04/04/22

अवर न्यायाधीश

Plaintiff substitution petition dt 14/02/22 is allowed. O/c substitute.